न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः—109 / 2021

दायर दिनांकः—18.06.2021

उनवान

1. नानगराम पुत्र रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
2. प्रेमशंकर पुत्र नानगराम जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
3. प्रभाती पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
4. मोत्या पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
5. मनोहर पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
6. गुलाब पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
7. लछमा पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
8. मूली पुत्री रामपाल जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक

— प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई
2. यशवन्त पुत्र जगदीश जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक
3. जग्गालाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी केरोद तहसील निवाई जिला टोंक

— अप्रार्थीगण

उपस्थितः—1. श्री गोपाल चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. तहसीलदार निवाई की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित (अप्रार्थी सं.1)
3. श्री कन्हैयालाल मीणा अधिवक्ता, (अप्रार्थी सं. 2लगायत 3)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 112 व 128 राजस्व भू — राजस्व अधिनियम 1956 बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय दिनांकः— 18.8.21

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 893 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 894 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 895 रकबा 5 बिस्वा भूमि वाके ग्राम केरोद तहसील निवाई में स्थित है। प्रार्थीगण जब भी अपने खेत पर जाते है तो आस पास के खातेदारों से मेर कोर को लेकर हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहती है। कई बार विवाद हो जाता है। इस प्रकार प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस—पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 की ओर से श्री कन्हैयालाल मीणा अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। अप्रार्थी सं. 2 लगायत 3 के अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करने में अनापत्ति जाहिर की गयी। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के संयुक्त खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। हमनें उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2070–73 खाता संख्या 86 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी में मात्र प्रार्थी संख्या 1 ही खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्राथी संख्या 2 लगायत 8 बतौर खातेदार जमाबन्दी में अंकित नहीं है। पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु नियमानुसार प्रार्थीगण बतौर खातेदार जमाबन्दी में दर्ज होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 112 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 18.8.2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(त्रिलोक चन्द मीना)
उपखण्ड अधिकारी
निवाई